डिगरी व मुकदमे ईब्तदाई

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
व इजलास —हेमन्त कुमार घनघोर आर0 ए0 एस0
प्रकरण संख्या : 81/2023

1—निहालसिह 2—द्वारिका 3—जरदान 4—हजारीलाल 5—सुघरी 6—कप्तान पुत्रगण विरखू 7—हरीवन पुत्र कप्तान समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण मुगलपुरा तहसील बाडी जिला धौलपुर 8—पप्पू 9—मुरारी 10—रिंकू 11—आशाराम 12—भूरा पुत्रगण राजबहादुर समसत जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम रहे मजरा रूधेरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

— — — वादीगण

बनाम

1—श्रीमती इंद्रा शर्मा पत्नी विजयभारती शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी विरोधा तहसील मनियां जिला धौलपुर हाल निवासी बी 061 प्रियदर्शनी कॉलोनी महगमा, हुमना रोड जबलपुर मध्यप्रदेश

2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

— — — प्रतिवादीगण

दावा वावत् स्वत्व घोषणा ,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ हेमन्त कुमार घनघोर (आर. ए. एस.) व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री सुरेश कटारा एडवोकेट एवं मिनजानिव मुद्दायलह श्री रामअवतार गौड एंडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी खसरा नम्बर 160/2654 रकवा 0.7587 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 310/2655 रकवा 0.5058 हैक्टेंयर कुल किता 2 तथा कुल रकवा 1.2645 हैक्टेयर वाके ग्राम मल्हैला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर मे वादीगण संख्या 1 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/2 भाग एंव वादीगण संख्या 8 लगायत 12 को संयुक्त रूप से 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकरं । वर्तमान में हो रहे प्रतिवादी संख्या 1 के इन्द्राजात को कलमजद कर वादीगणो के नाम बतौर खातेदार अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

वशब्द मेरे एंव मुहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2025 को जारी की गई ।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी सैपऊ)

(हेमन्त कुमार घनघोर)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

CamScanner